

छत्तीसगढ़ शासन  
राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4)  
राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और  
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं,  
(7) लोक-भाषा परिशिष्ट.



जीवन क्रमांक "छत्तीसगढ़ शासन"  
आ.रायपुर/17/2002.

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2002—भाद्र 29, शक 1924

## विषय—सूची

- 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4)  
राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और  
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं,  
(7) लोक-भाषा परिशिष्ट.
- 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय  
सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर. मंत्रिमंडल के  
प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1)  
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संयुक्त  
अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक 1533/2002/साप्रवि/1/2/2259.—श्री ए. के.  
विजयवर्गीय, आय. ए. एस. (1969) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़  
शासन, गृह विभाग को पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव, गृह  
विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया  
जाता है.

2. श्रीमती इंदिरा मिश्रा, आय. ए. एस. (1969) प्रमुख सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य  
सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश  
तक पदस्थ किया जाता है.

3. श्री ए. के. विजयवर्गीय तथा श्रीमती इंदिरा मिश्रा द्वारा कार्यग्रहण  
करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन)  
नियम 1954 के नियम 9 के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव के अमेवर्गीय  
पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची

IndiaCode

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended, and subject to the modification that all the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted and words "Bhopal" wherever they occur the word "Raipur" shall be substituted.
3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

### SCHEDULE

| S. No.<br>(1) | Name of Laws<br>(2) |
|---------------|---------------------|
|---------------|---------------------|

1. Bhopal Sthith Shaskiya Awas Abantan Niyam, 2000 (Excluding Annexure 1, 2, 3)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेणु जी. पिहले, संयुक्त सचिव

### लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 4744/लो. नि./02/19.—छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 4 के साथ पठित भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, ऐसे 20 पुलों को, जो संलग्न परिशिष्ट-क में सूचीबद्ध हैं, मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 23-4-2000-सी-19, दिनांक 27-1-2000 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन्हीं दरों से पथकर उद्गृहीत करती हैं और वह घोषित करती हैं कि छत्तीसगढ़ कार्य मैनुअल भाग-दो में परिशिष्ट 9.26 में विनिर्दिष्ट मानों को उक्त पथकर के भुगतान से छूट दी जाए।

IndiaCode

छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में निर्मित पुलों की सूची जिन पर टोल टैक्स लगाना प्रस्तावित है

| पुल का नाम एवं लोकेशन<br>(2)                       | लागत<br>(लाख रुपये में)<br>(3) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| तेल नदी सेतु                                       |                                |
| देवभोग कुम्हड़ई झांखरपारा मार्ग के कि.मी. 3/10     | 102.25                         |
| पैरी नदी सेतु                                      |                                |
| राजिम गरियाबंद देवभोग मार्ग कि.मी. 87/2-6          | 525.00                         |
| कोल्हान नाला सेतु                                  |                                |
| नवागांव-भानसोज मार्ग कि.मी. 10/10                  | 32.00                          |
| सुरंगी नाला सेतु                                   |                                |
| सरईपाली-पदमपुर मार्ग कि.मी. 10/4                   | 100.00                         |
| तान्दुला नदी सेतु                                  |                                |
| ग्राम भरीटोला के पास बोरिया डोडी मार्ग कि.मी. 34/8 | 42.00                          |
| खूंटी नाला सेतु                                    |                                |
| बसना-भंवरपुर मार्ग कि.मी. 9/6                      | 30.00                          |
| पथरा नाला सेतु                                     |                                |
| नवापारा कुरूद मार्ग कि.मी. 5/2                     | 44.00                          |
| बोरिया नाला सेतु                                   |                                |
| बालेंगा-खोरखोसा मार्ग कि.मी. 4/2                   | 40.27                          |
| अरपा सेतु                                          |                                |
| रतनपुर बेलगहना मार्ग कि.मी. 29/2                   | 219.25                         |
| सोन सेतु                                           |                                |
| भैंसमा सक्ती मार्ग के कि.मी. 30/4                  | 46.78                          |

IndiaCode

| (1) | (2)                                             | (3)    |
|-----|-------------------------------------------------|--------|
|     | माण्ड सेतु                                      |        |
| 11. | धरमजयगढ़-गूमनी टिकरा मार्ग कि.मी. 6/2           | 126.60 |
|     | सोनाजोरी सेतु                                   |        |
| 12. | तपकरा फरसाबहार मार्ग कि.मी. 8/4                 | 93.00  |
|     | आमाटोली सेतु                                    |        |
| 13. | बागबहार-कोतवा लैलुंगा मार्ग के कि.मी. 12/2      | 42.30  |
|     | तमता सेतु                                       |        |
| 14. | फुलेटा तमता मार्ग के कि.मी. 10/4                | 69.10  |
|     | सोनक्यारी सेतु                                  |        |
| 15. | जशपुर-सन्ता मार्ग के कि.मी. 37/10               | 45.00  |
|     | फुलझर सेतु                                      |        |
| 16. | (अ) अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग के कि.मी. 18/10   | 60.00  |
|     | महान सेतु                                       |        |
|     | (ब) अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग के कि.मी. 23/8-10 | 122.34 |
|     | बांकी सेतु                                      |        |
|     | (स) अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग के कि.मी. 40/10   | 107.07 |
|     | बांकी सेतु                                      |        |
| 17. | प्रतापपुर-सेमरसोत मार्ग के कि.मी. 23/2          | 60.30  |
|     | मछली सेतु                                       |        |
| 18. | दरिमा मेनपाट मार्ग के कि.मी. 7/2                | 35.00  |
|     | माण्ड सेतु                                      |        |
| 19. | धरमजयगढ़ कापू मार्ग के कि.मी. 2/4-6             | 278.28 |

IndiaCode

57/55

(2)

(3)

शिवनाथ सेतु

बरतूरी-अमलीडीह मार्ग के कि.मी. 5/6

216.38

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 4744/लो.नि./02/19.—छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 2 द्वारा पठित भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्रमांक 25 सन् 1932) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य में पुलों पर उद्ग्रहित की जाने वाली पथकर की निम्नलिखित दरें अधिरोपित करती हैं—

| क्रमांक | वाहनों का विवरण                                                                   | दिनांक 31-3-2003 तक उद्ग्रहित किए जाने वाले पथकर की दरें |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1)     | (2)                                                                               | (3)                                                      |
|         | टेम्पो, टेक्सी, मिनी बस, मेटाडोर भरा या खाली, स्टेशन वेगन एवं इसी प्रकार के वाहन. | 20.00                                                    |
|         | निजी कार, जीप, पिकअप                                                              | 12.00                                                    |
|         | खाली ट्रक, भरा या खाली बस                                                         | 30.00                                                    |
|         | भरा हुआ ट्रक                                                                      | 45.00                                                    |
|         | मल्टी एक्सल ट्रक, ट्रेलर                                                          | 60.00                                                    |
|         | अर्थ मुव्हींग मशीन (प्रतिटन)                                                      | 06.00                                                    |

प्रत्येक तीन वर्ष के लिए पथकर की दरों में 25 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकेगी जिसके लिए पृथक् आदेश जारी किया जा सकेगा.

ये दरें उन कार्यों को लागू नहीं होगी जिनका सन्निर्माण किया जा रहा है या सरकार की निर्मित तथा स्थानांतरित योजना के अधीन निर्माण किया गया जिसके लिए पूर्व से ही करार निष्पादित किए गए हैं.

किसी मान से पथकर की दरें दिन में केवल एक बार ही उद्ग्रहित की जाएगी जैसे 6.00 ए.एम. से 6.00 ए.एम. तक उक्त समस्त छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी.

IndiaCode

परिवहन 9.26

वाहनों की सूची जो शासन द्वारा पुल पार करने पर पथकर अदायगी से मुक्त की गयी है.

भाग I — कार्यालयन यंत्रों से स्थायी पास प्राप्त किये बिना —

1. माननीय राज्यपाल एवं माननीय मंत्रिमण्डल के वाहन व परिवहनार्थ.

2. माननीय विधान सभा अध्यक्ष एवं माननीय विधान सभा उपाध्यक्ष के वाहन व परिवहनार्थ.

3. सेना के अधिकारिगण के वाहन एवं परिवहनार्थ जो कर्तव्य पर यात्रा कर रहे हों.

4. मोर्चा पर जाते सैनिकों के साथ वाहन व परिवहनार्थ.

5. वाहन जो सामरिक प्राधिकरण के आदेशों के अंतर्गत चल रहे हों.

6. कर्तव्यरत पुलिस अधिकारिगण के वाहन/ऐसे पुलिस अधिकारिगण या तो —

(एक) बर्दी में होंगे, अथवा

(दो) जिला पुलिस अधीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे कर्तव्य पर हैं, अथवा

(तीन) यदि जिला पुलिस अधीक्षक से निम्न पद पर है तो परदेदार द्वारा रखे गये पुस्तक में अथवा पद, नाम व तथ्य ऑफिशल कार्ड पर दर्ज हों.

7. संभाग के कार्यालयन यंत्रों का वाहन, जिसमें पुल अवस्थित है, जब वह कर्तव्य पर यात्रा कर रहे हैं.

8. ग्राम कोटवारी के वाहन व परिवहनार्थ जो कर्तव्य पर हों एवं फौजदारी मामले में साक्षीगण के वाहन जो पुलिस द्वारा चुनौती प्राप्त हों.

9. कारवाहनों के वाहन एवं परिवहनार्थ जो कृषि में उपयोग में लिये जाते हों जिनके खेत या चरणीय भूमि पुल की दूसरी ओर स्थित हों. (यहाँ से 3 कि.मी. के अन्दर पड़ते हों. राजस्व पुस्तिका प्रस्तुत करने पर (यू-अधिकार एवं अन्य पुस्तिका).

10. वाहन जो डाक जाने के अनुज्ञापिधारी हों.

11. शासकीय क्षुद्र वाहन जैसे कार, जीप, ट्रैक्टर, रोगी वाहक जो कर्तव्य पर यात्रा कर रहे हों.

12. छत्तीसगढ़ राज्य के विधान सभा सदस्यों के वाहन एवं सांसदों के वाहन.

13. समस्त वाहन जो कम्पोस्ट खाद परिवहन कर रहे हों.

14. पर्यटन पत्र धारक अखबारों के संचालक/लेखकों, पत्रकारों के वाहन.

15. रोगी वाहक एवं अग्निशमनकर्तों के वाहनों को सुरक्षा निकल जाने दिया जावेगा.

56

IndiaCode

ट्रेक्टर ट्राली खाली या कृषि यंत्रों सहित.

भाग II—कार्यपालन यंत्रों से स्थायी पास प्राप्त किये हुए—

शासकीय सेवकों एवं उनके परिचारकों के वाहन जो कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहे हों.

वाहन जो एकमात्र स्कूलगामी बच्चों द्वारा प्रयुक्त किया जाता हो जो स्कूल जाने या वहां से लौटने वास्ते काम में लिया जाता हो.

—वाहन का चालक जिसे पथकर चुकाने से मुक्त किया गया हो अपना नाम, पद एवं कर्त्तव्य की प्रकृति जिसमें वह लगा है को लिखित में दर्ज करेगा यदि वह साक्षर है.

Raipur, the 2nd September 2002

No. 4744/PWD/02/19.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls (Chhattisgarh Amendment) Act, 1932 read with Section 4 of the Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh the State Government hereby levies Toll Tax on 20 bridges enlisted in Appendix A appended herewith. The same rates specified in the Schedule appended to the then Government of Madhya Pradesh, P. W. D. Notification No. G-23-4-2000-C-19 dated 27-1-2000 and declares that the vehicles specified in the appendix 9.26 of Madhya Pradesh work department Manual Volume II shall be exempted from the payment of the said tolls.

These orders shall come into force from the date of this Notification.

LIST OF THE BRIDGES CONSTRUCTED IN CHHATTISGARH STATE ON WHICH TOLL TAX IS PROPOSED

| No.<br>(1) | Name of bridge and road<br>(2)                            | Cost in lakhs<br>(3) | Remarks<br>(4) |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1          | TEL RIVER BRIDGE                                          |                      |                |
|            | In Km. 3/10 of Deobhog Kumhadai Jhakharpura Road          | 102.25               |                |
| 2          | PARRY RIVER BRIDGE                                        |                      |                |
|            | In Km. 87/2-6 of Rajim Gariaband Deobhog Road             | 525.00               |                |
| 3          | KOLHAN NALLA BRIDGE                                       |                      |                |
|            | In Km. 10/10 of Nawagaon Bhansod Road                     | 32.00                |                |
| 4          | SURANGI NALLAH BRIDGE                                     |                      |                |
|            | In Km. 10/4 of Saraipali Padampur Road                    | 100.00               |                |
| 5          | TANDULA RIVER BRIDGE                                      |                      |                |
|            | In Km. 34/8 near Village Bharritola of Boria Dhondhi Road | 42.00                |                |

IndiaCode

| (1) | (2)                                         | (3)    | (4) |
|-----|---------------------------------------------|--------|-----|
| 6.  | KHSTI NALLA BRIDGE                          |        |     |
|     | In Km. 9/6 of Basna Bhawarpur Road          | 30.00  |     |
| 7.  | PATHARRA NALLA BRIDGE                       |        |     |
|     | In Km. 5/2 of Nawapara Kurud Road           | 44.00  |     |
| 8.  | BORIA NALLA BRIDGE                          |        |     |
|     | In Km. 4/2 of Balenga Khorkhosa Road        | 40.27  |     |
| 9.  | ARPA BRIDGE                                 |        |     |
|     | In Km. 29/2 of Ratanpur Belgahna Road       | 219.25 |     |
| 10. | SON BRIDGE                                  |        |     |
|     | In Km. 30/4 of Bhaisma Sakti Road           | 46.78  |     |
| 11. | MAND BRIDGE                                 |        |     |
|     | In Km. 6/2 of Dharamjaygarh Amni Tikra Road | 126.60 |     |
| 12. | SONAJORI BRIDGE                             |        |     |
|     | In Km. 8/4 of Tapkara Pharsabahar Road      | 93.00  |     |
| 13. | AMATOLI BRIDGE                              |        |     |
|     | In Km. 12/2 of Bagbahar Kotwa Lailunga Road | 42.30  |     |
| 14. | SAMTA BRIDGE                                |        |     |
|     | In Km. 10/4 of Phuleta Tamta Road           | 69.10  |     |
| 15. | SONKAYARI BRIDGE                            |        |     |
|     | In Km. 37/10 of Jashpur Samta Road          | 45.00  |     |
| 16. | PHULJHAR BRIDGE                             |        |     |
| A.  | In Km. 18/10 of Ambikapur Pratappur Road    | 60.00  |     |
| B.  | MAHAN BRIDGE                                |        |     |
|     | In Km. 23/8-10 of Ambikapur Pratappur Road  | 122.34 |     |
| C.  | BANKI BRIDGE                                |        |     |
|     | In Km. 40/10 of Ambikapur Pratappur Road    | 107.07 |     |

IndiaCode

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2002

| (2)                                     | (3)    | (4) |
|-----------------------------------------|--------|-----|
| BANKI BRIDGE                            |        |     |
| In Km. 23/2 of Pratappur Semarsot Road  | 60.30  |     |
| MACHHALI BRIDGE                         |        |     |
| In Km. 7/2 of Darima Menpat Road        | 35.00  |     |
| MAND BRIDGE                             |        |     |
| In Km. 2/4-6 of Dharamjaygarh Kapu Road | 278.28 |     |
| SEONATH BRIDGE                          |        |     |
| In Km. 5/6 of Bartori Amlidih Road      | 216.38 |     |

Raipur, the 2nd September 2002

No. 4744/PWD/02/19.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls Act (Chhattisgarh Amendment) Act, 1932 read with Section 4 in its application to the State of Chhattisgarh of the Tolls Act, 1851 (No. 1 of 1851), the State Government hereby impose the following rates of tolls to be levied on bridges in the State.

| No. | Description of Vehicles<br>(2)                                                      | Rates of tolls to be levied upto 31-3-2003<br>(3) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     | Tempo, Taxi, Mini Bus, Matador loaded or empty Station wagon or equivalent vehicle. | 20.00                                             |
|     | Private Car, Jeep, Pickup                                                           | 12.00                                             |
|     | Empty Truck, Loaded Bus and Empty Bus                                               | 30.00                                             |
|     | Loaded Truck                                                                        | 45.00                                             |
|     | Multi Axle Truck, Traller                                                           | 60.00                                             |
|     | Earth Moving Machinery (per tonne)                                                  | 06.00                                             |

The rates of toll will be increased by 25% after every three years for which separate orders will be issued.

These rates shall not be applicable on those works which are being constructed or shall be constructed under Build-Operate and Transfer Scheme of the Government, for which agreements have already been executed.

The toll rates will be levied only once in a day i.e. from 6.00 AM to 6.00 PM from any vehicle. The above all rates shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एम. चौदहा, अवर सचिव.

IndiaCode

60

## APPENDIX 9.26

## LIST OF VEHICLES EXEMPTED BY THE STATE GOVERNMENT FROM PAYMENT OF TOLL WHEN CROSSING AT TOLL BRIDGES

**Part-I-Without a permanent pass from the Executive Engineer—**

- (1) Conveyances and Vehicles of Hon'ble Governor and Hon'ble Ministers.
- (2) Conveyances and vehicles of the Hon'ble Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly.
- (3) Conveyances and vehicles of Military Officer travelling on duty.
- (4) Conveyances and vehicles accompanying troops on the march.
- (5) Vehicles moving under the orders of military authorities.
- (6) Vehicles of Police Officers on duty : Such Police Officers shall either—
  - (i) be in uniform, or
  - (ii) produce a certificate signed by the District Superintendent of Police that they are on duty, or
  - (iii) if of a rank not low, than a District Superintendent of Police, enter in a book kept by the lessee, their names and the fact that they are travelling on duty.
- (7) The conveyance of the Executive Engineer of the Division in which the bridge is situated while travelling on duty.
- (8) The conveyances and vehicles of village kotwar on duty, and of witnesses in criminal cases challaned by Magistrate.
- (9) Conveyances and vehicles of cultivators used for agricultural purpose whose fields or pasture grounds lie within a distance of 3 km. from the opposite side of the bridge to their home on production of Revenue Book (Bhata Adhikar and Rin Pustica).
- (10) Vehicles license to carry mails.
- (11) Small vehicles (like car, jeep, tractor and ambulance) of the State Government travelling on duty.
- (12) Vehicles of the Members of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh and Members of Parliament.
- (13) All vehicles transporting compost manure.
- (14) Vehicles of accredited press correspondents possessing identity card.
- (15) Ambulance and vehicles of Fire Brigade would be allowed to pass through immediately.
- (16) Tractor Trolly (empty or with agricultural machinery).

**Part-II-With permanent pass from the Executive Engineer.**

- (17) Vehicles of Govt. servants and their attendants travelling on duty.
- (18) Vehicles exclusively used for school-going children, when going to schools or return therefrom with their vehicles.

**Note :—**The driver of the vehicle exempted from payment of tolls, shall state his name, rank and the nature of duty on which he is engaged and shall, if literate, do so in writing.

IndiaCode